BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 30,000-30,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. हरेन्द्र पुत्र तेज सिंह निवासी कुतुबपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर 2- परवेन्द्र पुत्र सुखबीर निवासी पथरेडी थाना बिलासपुर गुडगांव हरियाणा द्वारा वर्ष-2012 में थाना अहार क्षेत्रान्तर्गत दो व्यक्तियों बिजेन्द्र व हरिशचन्द्र निवासी जनपद मथुरा की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.07.2012 को थाना अहार पर मुअसं- 78/2012 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 21.09.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 14 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 21.01.2025 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरेन्द्र व परवेन्द्र को आजीवन कारावास व 30,000-30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर